



प्रेस नोट थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक 17.09.2026

थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम, चरस बिक्री-निर्माण के क्रम में थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 03.09.26 को वादी द्वारा थाना बण्डा पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 413/26 धारा 69/351(3) बीएनएस बाबत अभियुक्त प्रमोद पुत्र रामसरन, उम्र करीब 25 वर्ष, नि0 ग्राम उदयपुर खखरा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री को शादी का झांसा देकर गलत काम करने व शादी करने को कहने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 16.09.26 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रमोद पुत्र रामसरन, उम्र करीब 25 वर्ष, नि0 ग्राम उदयपुर खखरा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को महदूद राजा बिस्कुट चौराहे, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार से समय 15.20 बजे हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

प्रमोद पुत्र रामसरन, उम्र करीब 25 वर्ष, नि0 ग्राम उदयपुर खखरा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 413/26 धारा 69/351(3) बीएनएस, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 16.09.2026 को समय 15.20 बजे, महदूद राजा बिस्कुट चौराहे, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार से ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

श्री जयचन्द गिरी

हे0का0 अरविन्द राय

का0 चित्रांश शर्मा